बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.................... पटना, दिनांक......................
5/स0 अपील (बजरंग)– 18/2015

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री जय बजरंग स्टोन इण्ड0,
प्रो0 श्री श्याम सुन्दर मिश्रा,
पिता– स्व0 पुज्यानन्द मिश्रा,
ग्राम– ढेंगा, पोस्ट+थाना– नौहट्टा,
जिला– सहरसा।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0–18/2015 ~~की सुनवाई~~ में पारित आदेश के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री जय बजरंग स्टोन इण्ड0, सहरसा बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2814 दिनांक 03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/~~आई0टी0~~ मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3/7/18

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 18/2015

सर्वश्री जय बजरंग स्टोव इण्डस्ट्रीज, सहरसा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील सर्वश्री जय बजरंग स्टोव इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1143 दिनांक 27.09.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में पत्रांक 264 दिनांक 31.01.85 द्वारा सी० टाईप छावनी कभरिंग 600/7000 वर्गफीट भूमि स्टोव उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि पुत्र की हत्या वर्ष 2009 में औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में ही कर दिये जाने के कारण ही इकाई बंद रही है। अब मैं पुनः इकाई को चालू करना चाहता हूँ एवं वर्क–शॉप में कार्य करने वाले कर्मी की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ तथा दो से तीन माह के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा। जहॉ तक बकाया भुगतान का प्रश्न है सभी बकाया एक मुश्त 70,000 रु० जमा कर चुका हूँ। इकाई को लीज में रुपांतरित आदेश होनी चाहिए थी जो नहीं हुआ और पुनः भाड़े की राशि जोड़ी जा रही है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1143 दिनांक 27.09.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री जय बजरंग स्टोव इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में पत्रांक 264 दिनांक 31.01.85 द्वारा सी० टाईप छावनी कभरिंग 600/7000 वर्गफीट भूमि स्टोव उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। इकाई को पत्रांक 1474 दिनांक 05.09.05 , पत्रांक 172 दिनांक 15.12.95 द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने तथा उद्योग बन्द रखने के फलस्वरुप नोटिस निर्गत किया गया। पत्रांक 322 दिनांक 29.02.96 द्वारा बकाया राशि 31,340 रु० का भुगतान नहीं करने तथा उत्पादन कार्य प्रारम्भ नहीं करने के कारण इकाई को आवंटित छावनी को रद्द कर दिया गया। इकाई द्वारा 15500 रु० का भुगतान करते हुए आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापांक 936 दिनांक 27.05.96 द्वारा इकाई को पुनर्मान्यता की स्वीकृति इस शर्त के आधार पर की गयी कि इकाई शेष राशि का भुगतान दो हजार रु० प्रति माह के दर से भुगतान कर देंगे तथा छः माह के अन्दर उद्योग उत्पादन में ला देंगे। पत्रांक 1729 दिनांक 27.07.07 द्वारा स्थायी निबंधन में प्रेसर स्टोव के साथ शटर, गेट, ग्रिल एवं स्टील फेब्रीकेशन का उत्पादन का उत्पादन हेतु स्वीकृति दी गयीं। इकाई द्वारा आवंटित स्थल पर किसी भी तरह के औद्योगिक गतिविधि एवं बकाये राशि के भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरुप क्रमशः पत्रांक 1296 दिनांक 02.11.10, पत्रांक 1161 दिनांक 30.06.11, पत्रांक 1264 दिनांक 14.07.11, पत्रांक 2036 दिनांक 08.11.11, पत्रांक 467 दिनांक

25.03.13 के द्वारा नोटिस निर्गत की गई । इकाई को पुनः पत्रांक 756 दिनांक 09.05.13 के द्वारा के सूचना के साथ उद्योग स्थापित करने एवं बकाये राशि के भुगतान हेतु अंतिम नोटिस निर्गत किया गया। इकाई का अद्यतन निरीक्षण प्रतिवेदन में इकाई बराबर बन्द रहता है तथा परित्यक्त अवस्था में है। इकाई द्वारा एक शपथ पत्र जमा किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर 2013 के अन्त तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा परन्तु इकाई द्वारा इसका भी अनुपालन नहीं किया गया। अंत में आदेश ज्ञापांक 1143 दिनांक 27.09.2014 द्वारा आवंटित भू–खंड को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री जय बजरंग स्टोव इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक प्रांगण, सहरसा में पत्रांक 264 दिनांक 31.01.85 द्वारा सी0 टाईप छावनी कभरिंग 600/7000 वर्गफीट भूमि स्टोव उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना के लिए कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी निबंधित उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1143 दिनांक 27.09.2014 अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपीलीय आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2018
(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2018
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।